बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

विषय :– बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–33 पर दर्ज "तांती (ततवा)" जाति को विलोपित करने के संबंध में।

राज्य सरकार ने सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–2641 दिनांक–15.09.2006 के द्वारा अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना का गठन किया गया है। संकल्प की कंडिका–3 (iii) के अनुसार आयोग अत्यन्त पिछड़ी जातियों की सूची में किसी जाति को सम्मिलित करने अथवा उससे हटाने की अनुशंसा सरकार को कर सकेगा।

अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के पत्रांक–31–क दिनांक–02.02.2015 द्वारा निम्नांकित अनुशंसाएँ की गई हैं :–

"बिहार अधिनियम–12/1993 की धारा–3, अधिनियम–1991 एवं अधिनियम–3/ 1992 के प्रावधानों के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1, क्रमांक–33) की सूची से ताँती (ततवाँ) को विलोपित किया जाए तथा ताँती (ततवाँ) को अनुसूचित जाति की उपाधि घोषित की जाए एवं उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 में बिहार के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति के क्रमांक–18 पर अंकित पान/स्वांसी जाति अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाए।"

अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना के उपर्युक्त अनुशंसा पर पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना का परामर्श प्राप्त किया गया। पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के पत्रांक–45 दिनांक–18.06.2015 द्वारा दिया गया सलाह निम्नांकित है :–

बिहार अधिनियम–12, 1993 की धारा–9 (1) (ग) के तहत राज्य सरकार को पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना की यह सलाह है कि ''बिहार राज्य के लिए अनुसूचित जाति की सूची में शामिल ''पान/स्वाँसी'' जाति की एक उपजाति ''ताँती (ततवाँ)'' है जो राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–33 पर दर्ज है, को विलोपित कर दिया जाय ताकि ताँती (ततवाँ) को अनुसूचित जाति की सूची में क्रमांक–19 पर दर्ज पान/स्वासी के साथ समावेशन पर अनुसूचित जाति का लाभ मिल सके''।

साथ ही, ताँती (ततवाँ) जाति को विलोपित करने के पहले से इस नाम से निर्गत जाति प्रमाण–पत्रों के आधार पर सुविधा प्राप्त कर रहे लोगों में किसी को भी किसी तरह की सुविधा से वंचित नहीं किया जाय।

बिहार अधिनियम–12, 1993 की धारा–9 (2) के अनुसार आयोग की राय मानने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार बाध्य होगी।

अतः राज्य सरकार ने भली–भाँति विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग की उपर्युक्त सलाह के आलोक में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक–33 पर दर्ज "तांती (ततवा)" जाति को विलोपित कर दिया जाय ताकि तांती (ततवा) को अनुसूचित जाति की सूची में क्रमांक–20 पर दर्ज पान/स्वासी के साथ समावेशन पर अनुसूचित जाति का लाभ मिल सके''।

साथ ही, तांती (ततवा) जाति को विलोपित करने के पहले से इस नाम से निर्गत जाति प्रमाण–पत्रों के आधार पर सुविधा प्राप्त कर रहे लोगों में किसी को भी किसी तरह की सुविधा से वंचित नहीं किया जाय।

यह आदेश तुरत प्रभावी होगा।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)/पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0नी0–III–02/2015 सा0प्र0 9532 पटना–15, दिनांक– 01.07.2015

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0नी0–III–02/2015 सा0प्र0 9532 पटना–15, दिनांक– 01.07.2015

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, बिहार, पटना/सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना, उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार बिधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी /सभी विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-D/DHARMRAJ SANLEKH &SANKALP